ज्ञापांक 5226 / पी0–2

13–04–03–2013

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

FAX
E mail

पटना, दिनांक :– 2-5-2017

सेवा में,

सभी पुलिस उप–महानिरीक्षक,
बिहार।

विषयः–सिपाही से सहायक अवर निरीक्षक की कोटि में प्रोन्नति हेतु मनोनयन के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सहायक अवर निरीक्षक के रिक्त पदों के विरूद्ध प्रोन्नति देने के लिए सिपाहियों का मनोनयन अपेक्षित है।

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र सं0–11/आ0नी0–।–03–16 सा0प्र0–4800, दिनांक–01.04.16 के द्वारा राज्यधीन सेवाओं में मूल कोटि में वरीयता सह योग्यता के आधार पर प्रोन्नति की कार्रवाई की गई है। सिपाही से स0अ0नि0 की कोटि में दिनांक– 04.06.1999 तक के नियुक्त सिपाहियों को स0अ0नि0 कोटि में प्रोन्नति दिया जा चुका है।

अतएव अनुरोध है कि मूल कोटि में वरीयता सह योग्यता के आधार पर सिपाही से स0अ0नि0 कोटि में प्रोन्नति देने हेतु विचारार्थ जून 1999 तक के छुटे हुये मामलों का पी0टी0सी0 उत्तीण सिपाहियों का सहायक अवर निरीक्षक की कोटि में प्रोन्नति हेतु दिनांक–15.05.17 तक क्षेत्रीय चयन पर्षद की बैठक आयोजित कर अनुशंसित मनोनयन तीन प्रतियों में सी0डी0 सहित (Ms-Excel sheet में) निम्नलिखित प्रपत्र में दिनांक–20.05.2017 तक पुलिस मुख्यालय में प्राप्त करा देना सुनिश्चित किया जायः–

सिपाही से स0अ0नि0 की कोटि में प्रोन्नति हेतु मनोनयन का प्रपत्रः–

क0	ब्रास नं0/नाम	गृह जिला /जन्म तिथि	आरक्षण कोटि	पदस्थापन जिला / इकाई	सिपाही के पद पर नियुक्ति की तिथि/ संपुष्टि की तिथि	मैट्रिक पास करने का वर्ष	हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा उर्त्तीण करने की तिथि/ पी0टी0सी0 उर्त्तीण करने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8

वृहद सजा (वि0का0 में घटना की तिथि) सहित	लंबित वि0का0	लंबित 828(सी0)	पूर्व पदस्थापन विवरणी (तिथि सहित)	क्षेत्रीय चयन पर्षद की अनुशंसा	अभ्युक्ति
9	10	11	12	13	14

साथ ही वैसे सिपाही जिन्हे पुलिस मुख्यालय द्वारा सहायक अवर निरीक्षक की कोटि में प्रोन्नति दे दी गयी है, परंतु किसी कारणवश उनकी प्रोन्नति का जिलादेश/क्षेत्रादेश निर्गत नही हुआ है एवं मार्गदर्शन अपेक्षित है उनका भी उपरोक्त प्रपत्र में अभिलेख अंकित करते हुए पुलिस मुख्यालय के प्रोन्नत्यादेश का ज्ञापांक/दिनांक जिसके द्वारा उन्हे स0अ0नि0 कोटि में प्रोन्नति दी गयी एवं जिलादेश एवं क्षेत्रादेश निर्गत नही किए जाने का कारण का उल्लेख करते हुए क्षेत्रीय चयन पर्षद की अनुशंसा सहित मनोनयन पुलिस मुख्यालय को पन्द्रह दिनों के अन्दर अवश्य उपलब्ध कराया जाय। मनोनयन हर हालत में विहित प्रपत्र में ही भेजी जाय।

उपरोक्त प्रपत्र के कॉलम–7 में मैटिक उत्तीर्णता का वर्ष ही भरा जाय न कि शैक्षणिक योग्यता। अगर नियुक्ति के पूर्व मैट्रिक उत्तीर्ण है तो नियुक्ति पूर्व यदि बाद में मैट्रिक पास किये है तो पास करने का वर्ष अंकित कर भेजा जाय।

1.5.17

पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय),
बिहार, पटना।

प्रतिलिपि :– 1. पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (निरीक्षण), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।

2. सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।